

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ, जिला भीलवाडा (राज0)

दिनांक: 07.07.2021

संक्र. : राजस्व/कोर्ट/2021/181/2021

तहसीलदार
माण्डलगढ

विषय: पत्थरगढी करने के सम्बन्ध में।


उनवान

1. दुर्गालाल पिता भूरालाल जाति महाजन निवासी झंझोला तहसील माण्डलगढ।
बनाम

1. सत्यनारायण पिता कन्हैयालाल जाति शर्मा निवासी झंझोला तहसील माण्डलगढ।
2. छोटु पिता भागुता जाति दरोगा निवासी भारजी का खेड़ा तहसील माण्डलगढ।
3. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आनुवातिक प्रकरण में आदेश होकर लेख है ग्राम भारजी क खेड़ा पटवार हल्का झंझोला की सरहद में स्थित खाता संख्या 24 की आराजी संख्या 195/166,196/80 कुल कित्ता 2 रकबा 0.8094 बीघा भूमि की बशामलात् पडौंसियान के मौके पर रिकार्ड एवं कब्जेनुसार पत्थरगढी की जावे। पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500/- रुपये तय की जाती है, जो वक्त पत्थरगढी प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। पत्थरगढी शुल्क 100/- रुपये राजकोष में जमा हो चुके है। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढी कब्जे नहीं हटाय जावे तथा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करे। पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे।


उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ